NURSING Attdt.

		Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government, - (a)(i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level-9(Rs. 53100-167800) or Level-8(Rs.47600-151100) of the pay matrix; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).

(11)	(12)	(13)
Not applicable	**Group 'A', Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-** 1.Additional Secretary(Administration) - Chairman; 2. Joint Secretary (Administration) - Member; 3. Joint Secretary in the territorial division of the language concerned - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

[No. Q/CAD/798/01/2017]

DEVESH UTTAM, Director (Administration)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 16 जनवरी , 2020

सा.का.नि. 12.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कलावती सरन बाल अस्पताल (समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 1979 को, जहां तक उनका संबंध आया, प्रयोगशाला परिचर/फार्माश्यूटिकल परिचर, चिकित्सा अभिलेख परिचर और अस्पताल सहायक/नर्सिंग सहायक (पुरूष/महिला) के पद से है और कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली एम्बुलेंस परिचर (समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 2005 को, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, नई दिल्ली के कलावती सरन बाल अस्पताल में नर्सिंग परिचर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली, नर्सिंग परिचर, (समूह 'ग' पद), भर्ती नियम, 2020 है ।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर .**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि .**— भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता .—** वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति .—** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लेखबद्ध करके आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संदर्भ में शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति .—** इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नर्सिंग परिचर	53* (2020) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18000-56900 रुपये)	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच । (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदशों अथवा आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।) **टिप्पण:** आयु-सीमा निर्धारण की निर्णायक तारीख़ अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख़ होगी, न कि वह नियत तारीख़ जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य का लद्दाख़ खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पिति जिला तथा चम्बा जिला का पांगी उपखंड, अंदमान एवं निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैट्रिक उत्तीर्ण और (ii) केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त संस्थान से प्राथमिक उपचार प्रमाणपत्र; और (iii) पचास बिस्तरों वाले अस्पतालों में अस्पताल कार्य का एक वर्ष का अनुभव । **टिप्पण-1:** अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, कारणों को लेखबद्ध करते हुए अर्हताएं शिथिल की जा सकती हैं । **टिप्पण-2:** अनुभव संवंधी अर्हताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, कारणों को लेखबद्ध करते हुए अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में तब शिथिल की जा सकती हैं जव चयन के किसी चरण पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	**समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिल कर बनेगी:** (i) अपर चिकित्सा अधीक्षक, कलावती सरन बाल अस्पताल - अध्यक्ष; (ii) उपनिदेशक (प्रशासन), कलावती सरन बाल अस्पताल - सदस्य; (iii) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में कलावती सरन बाल अस्पताल के प्रशासनिक कार्य देख रहे उपनिदेशक (प्रशासन) - सदस्य	लागू नहीं होता ।

[फा. सं.ए.11018/28/2019-एमएच-II]

जी.पी. सामंत, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 16th January, 2020

G.S.R. 12.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Kalawati Saran Children's Hospital (Group-'D' posts) Recruitment Rules , 1979 , in so far as they relate to the posts of Ayas, Laboratory Attendant/ Pharmaceutical Attendant, Medical Record Attendant and Hospital Aids/Nursing Aids (Male/Females) and Kalawati Saran Children's Hospital, New Delhi Ambulance Attendant (Group-'D' post) Recruitment Rules, 2005, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Nursing Attendant in Kalawati Saran Children's Hospital in New Delhi, namely:-

1. **Short title and commencement .**— (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, the Kalawati Saran Children's Hospital, New Delhi, Nursing Attendant, (Group 'C' Post) . Recruitment Rules, 2020.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification, level in pay matrix .**— The number of the said post, its classification and the level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualification, etc .**— The method of recruitment age-limit, qualification and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification .**— No person, -

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living , or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

   shall be eligible for appointment to the said posts:

   Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax .**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving .**— Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nursing Attendant	53* (2020) (*Subject to variation dependant on workload)	General Central Service, Group 'C', Non- Gazetted, Non-Ministerial	Level-1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900/-)	Not applicable

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(6)	(7)
Between 18 and 27 years. (Relaxable for departmental candidates up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note :** The crucial date for determining the age- limit shall	(i) Matriculation pass from recognised University or board and (ii) First aid certificate from the Central Government or State Government recognised institution ; and

be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union Territory of Andaman and Nicobar Islands and Union Territory of Lakshdweep.	**(iii)** One year experience of hospital work in fifty bedded hospitals. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority for the reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2** : Qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if, at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient numberof candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years	By direct recruitment

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade from which promotion or deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Not applicable.	**Group 'C' , Departmental Promotion Committee (for considering Confirmation) consisting of:-** (i) Additional Medical Superintendent, Kalawati Saran Children's Hospital -Chairperson; (ii) Deputy Director Administration, Kalawati Saran Children's Hospital -Member; (iii) Deputy Director Administration looking after the admin work of Kalawati Saran Children's Hospital in Directorate General of Health Services. -Member.	Not applicable.

[F. No. A. 11018/28/2019-MH-II]

G.P. SAMANTA, Under Secy.

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2020

सा.का.नि. 13 .—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली में प्रॉस्थोटिस्ट और ऑर्थोटिस्ट वर्ग-1 के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली, प्रॉस्थोटिस्ट और ऑर्थोटिस्ट वर्ग-1 (समूह 'ख' पद), भर्ती नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।